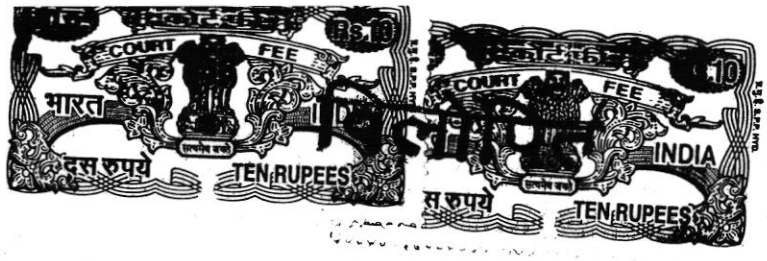

(1)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (म०प्र०)

बाबूलाल तनय मुरलीधर यादव निवासी बारोन तह॰लिधौरा जिला टीकमगढ म॰प्र॰

..पुनरीक्षणकर्ता

श्री एडव॰ पी॰ भटनागर अभि॰
द्वारा आज दि॰ 30-5-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 7-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 30-5-18

निगरानी-3325/2018/टीकमगढ़/अ.90

बनाम

1॰सुक्का तनय मलथू धोबी नि॰ ग्राम बारोन तहसील-लिधौरा

2॰मक्खन तनय भगवानदास यादव

3॰स्वामी तनय भगवानदास यादव

4॰किशोरी तनय भगवानदास यादव समस्त निवासी ग्राम बारोन तह॰लिधौरा जिला टीकमगढ म॰प्र॰

..अनावेदक/

Filed by
MP Bhatnagar Adv
30/5/18

पुनरीक्षण प्रस्तुत अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील क्र॰148/बी121/12-13 मे पारित आदेश दिनांक 30/1/2014 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०1959

महोदय,

1॰ ग्राम बारोन मे भूमि ख॰न॰133रकवा 4एकड़ भूमि अनावेदकक्र॰1 को शासन द्वारा वंटन मे दी गई थी उक्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के अनावेदक क्र॰2,3एव 4 ने क्र य कर ली थी जिसके विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ के यहां प्रकरण क्र॰ 36/बी121/11-12 मे आदेश दिनांक 30/8/2012 को निराकरण होने से उक्त भूमि म॰प्र॰शासन दर्ज कर दी गई थी उसके विरुद्ध अनावेदक क्र॰2,3,4 ने अपर आयुक्त सागर के यहां अपील क्र॰148/बी121/12-13 प्रस्तुत की जो दिनांक 30/1/2014 को निराकृत हुई जिसके मुताबिक कलेक्टर आदेश दिनांक 30/8/12 निरस्त कर दिया गया जिससे दुखित होकर यह पुनरीक्षण निम्न विधि विन्दुओ पर प्रस्तुत की जा रही है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय की वाक्यातपत्रावली विधि विधान

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3325/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-06-2018	आवेदक की ओर से श्री एम.पी. भटनागर अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश दिनांक 30-01-2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि पूर्व में कलेक्टर द्वारा शिकायतकर्ता बाबूलाल के आवेदन कई बार निरस्त हो जाने के कारण पुन: कलेक्टर को बाबूलाल के आदेश का निराकरण करने का अधिकार नहीं बनता है । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 19.6.18	